# *विदेशी मुद्रा संबंधी गतिविधियां*

**अक्तूबर 2008**

## (i) बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में उदारीकरण

बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति और देश में खनन, खनिजों का पता लगाना तथा परिष्करण के क्षेत्र विकास संवर्धन की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के प्रयोजन से संरचनात्मक क्षेत्र की परिभाषा का दायरा और बढ़ाया जाये तदनुसार, इसके बाद से (i) पावर (ii) दूरसंचार (iii) रेलवे (iv) पुलों सहित सड़कें (v) बंदरगाह तथा हवाई अड्डे (vi) औद्योगिक पार्क (vii) शहरी बुनियादी सुविधाएं (जल आपूर्ति, सफाई और जल-मल निकासी परियोजना) (viii) खनन, खनिजों का पता लगाना तथा परिष्करण आदि को संरचात्मक क्षेत्र के दायरे में रखा गया है।

[एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20
8 अक्तूबर 2008]

## (ii)एक्जिम बैंक की 64.07 मिलियन अमरीकी डॉलर की म्यांमा विदेशी व्यापार बैंक,म्यांमार को ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने म्यांमा विदेशी व्यापार बैंक, म्यांमार को 24 जून 2008 को हुए ऋण करार के तहत तीन ट्रांसमिशन लाइनों अर्थात् पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा म्यांमार में स्थापित की जाने वाली थाटे चौंग - ओक्षिपिटिन 230 किलोवाट, थाटे चौंग-थाँडे-मेई-ऐन 230 किलोवाट और थाँडे आठोक 230 किलोवाट से संबंधित वित्तपोषण सहित भारत से सुयोग्य वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए कुल 64.07 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिसकी खरीद

के लिए एक्ज़िम बैंक इस करार के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21
14 अक्तूबर 2008]

### (iii) म्यांमा फॉरेन ट्रेड बैंक को एक्ज़िम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने म्यांमा फॉरेन ट्रेड बैंक के साथ म्यांमार स्थित एक एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्सड (एसीएसआर) वायर विनिर्माण फैक्टरी, जिसकी एसीएसआर की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 10,000 टन और गैलवनाइज्ड आयरन वायर 4000 टन होगी, के लिए भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र, परामर्श सेवाओं सहित, माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु उनको कुल 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 24 जून 2008 को एक करार निष्पादित किया है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.22
14 अक्तूबर 2008]

### (iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार - सीमा में वृद्धि

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को समुद्रपारीय निधियां प्राप्त करने में और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि इस सुविधा को अधिक उदार बनाया जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक, अब आगे से अपने प्रधान कार्यालय, समुद्रपारीय शाखाओं और संपर्क बैंकों से निधियां उधार ले सकते हैं तथा पिछली तिमाही समाप्त होने तक नास्ट्रो खातों में उनकी अक्षत टियर -I पूंजी के 25 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में 50 प्रतिशत की सीमा तक अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (अथवा उसके समकक्ष), जो भी अधिक हो (विदेशी मुद्रा और पूंजीगत लिखतों में निर्यात ऋण के वित्तपोषण के लिए उधार से इतर) ओवरड्राफ्टस् ले सकते हैं।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23
15 अक्तूबर 2008]

### (v) ऋण और ईक्विटी के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश का विनियोजन

विदेशी संस्थागत निवेशकों को ईक्विटी और ऋण लिखतों में उनके निवेशों के विनियोजन में लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारत सरकार के परामर्श से 16 अक्तूबर 2008 के अपने परिपत्र सं. आइएमडी/एफआइआइ एण्ड सी/33/2007 के द्वारा क्रमशः ईक्विट और ऋण में निवेशों के 70:30 के अनुपात के प्रतिबंध से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विदेशी संस्थागत निवेशक विनियमावली के विनयम 15 (2) में दी गयी शर्त हटा दी है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) विनियमों में संशोधन किया गया है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की जमा राशि के संबंध में दी गयी शर्त बनी रहेंगी।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25
17 अक्तूबर 2008]

### (vi) बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति - उदारीकरण

समीक्षा के आधार पर बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के कुछ पहलुओं को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

i) उधारकर्ताओं को अनुमत मार्ग के तहत प्रयोजनमूलक उपयोग के लिए रुपयों और / विदेशी मुद्रा में व्यय हेतु प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति होगी। तदनुसार, सेवा क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए रुपयों और विदेशी मुद्रा में व्यय हेतु प्रति कंपनी, प्रति वित्तीय वर्ष की सीमा 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की परिपक्वता कम से कम अपेक्षित को पात्र उधारकर्ता, मान्यता प्राप्त उधारदाता, पूँजीगत माल तथा विदेशी निवेशों का प्रयोजनमूलक उपयोग औसतन परिपक्वता अवधि की शर्त समाप्त कर दी गई है।

ii) देश में टेलकॉम क्षेत्र के और अधिक विकास हेतु 3 जी स्पक्ट्रम का लाइसेसंस /परमिट लेने के लिए किया गया भुगतान, बाह्य वाणिज्यिक उधार के उद्देश्य से अनुमत प्रयोजन-मूलक माना जायेगा।

iii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की आय की भारत में वास्तविक जरूरत न होने तक विदेश में रखना अपेक्षित है ओर विदेश में रखी गई इस प्रकार की बाह्य वाणिज्यिक उधार से होने वाली को निम्नलिखित नकदी परिसम्पत्तियों में निवेश किया जा सकता है । इसके बाद से, उधारकर्ताओं को, उपर्युक्त तरह से ये निधियां विदेश में रखने अथवा भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं / सहायक संस्थाओं में रखने अथवा भारत में श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों में अनुमत अंतिम - उपयोग लंबित मामलों के निपटान हेतु रखे गये रुपया खातों में क्रेडिट करने के लिए प्रेषित करने की छुट दी जाये। तथापि, जैसा कि अभी तक, रुपया - निधि को पूंजी बाजार, स्थावर संपदा में निवेश की अथवा अंतर-संस्था उधार देने की अनुमति नहीं होगी।

iv) अंतराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में कड़ी नकदी हालात को देखते हुए बाह्य वाणिज्यिक उधारों की समग्र लागत सीमायें निम्नवत् युक्तिसंगत और संशोधित कर दी गई हैं।

| औसत परिपक्वता अवधि | 6 माह से ऊपर के लिए लंदन-अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) | |
|---|---|---|
| | वर्तमान | पुनरीक्षित |
| 3 वर्ष और 5 वर्ष तक | 200 आधार अंक | 300 आधार अंक |
| 5 वर्षों से अधिक और 7 वर्षों तक | 350 आधार अंक | 500 आधार अंक |
| 7 वर्षों से अधिक | 450 आधार अंक | |

[ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.26 22अक्तूबर 2008]

## (vii) भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण - समग्र लागत सीमा की पुनरीक्षा

चूंकि घरेलू आयातक, अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजारों में दुर्लभ नकदी स्थिति को देखते हुए मौजूदा समग्र लागत सीमा के भीतर व्यापार ऋण उठाने में कठिनाई महसूस की जा रही थी, अतः वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति विवरण की मध्यवधि समीक्षा (पैराग्राफ - 147) में व्यापार ऋण के लिए समग्र लागत सीमा में वृद्धि घोषित की गयी थी। तदनुसार, व्यापार ऋणों के लिए संशोधित समग्र लागत सीमा निम्नवत् होगी :

| परिपक्वता अवधि | 6 माह लिबोर से उपर समग्र लागत सीमा | |
|---|---|---|
| | वर्तमान | संशोधित |
| एक वर्ष तक | 75 आधार बिंदु | 200 आधार बिंदु |
| एक वर्ष से तीन वर्षों तक | 125 आधार बिंदु | |

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27 27 अक्तूबर 2008]